

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-105/2023- 647(2)/स्वा०, पटना, दिनांक 30 /03 /2026

डा० अलका, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुंदरपुर, धरहरा, मुंगेर के द्वारा दिनांक-02.07.2022 से 31.07.2022 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-997(25) दिनांक-24.05.2023 से प्राप्त अवकाश आदेयता तथा बिहार सेवा सहिता के नियम-230 एवं 236 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

i.	दिनांक-02.07.2022 से 28.07.2022 तक	-	कुल-27 (सताइस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
ii.	दिनांक-29.07.2022 से 31.07.2022 तक	-	कुल-03 (तीन) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-105/2023- 647(2) पटना, दिनांक 30/3 /2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धरहरा, मुंगेर/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/डा० अलका चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुंदरपुर, धरहरा, मुंगेर को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wim. K. Singh
सरकार के उप सचिव।
41